

मातृ मत जीवने दो

संकटग्रस्त गर्भस्थ शिशु रक्षार्थ गर्भवती स्त्री को आश्रय

* **हमारी बात :** हम अपने 'जीवन संरक्षण अभियान' में हमारे समाज के सबसे छोटे एवं निर्बल सदस्य को नष्ट करने की, हत्या करने की भर्तस्ना करते हैं व अजन्मे बच्चे के अधिकारों के संरक्षण की बात कहते हैं। संविधान में प्रदत मूल अधिकारों में शामिल "जीवन का अधिकार" भुग्ण को भी है हर भुग्ण को पर्याप्त देखभाल पाने और गर्भ धारण से ही सम्मान का हक है हर कन्या को कोख में निजता के साथ जीने का अधिकार है।

* **माँ भगवती विकास संस्थान द्वारा स्थापित "जीवनी आश्रय धाम"** अजन्मे के अधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य से संचालित किया जाने वाला वह धाम है, जहाँ वह गर्भवती महिला जो अपने गर्भ में पल रहे उस मासूम की रक्षा करना चाहती है, उसको जन्म देना चाहती है कि इन्होंने वह गर्भवती महिला निम्न कारणों से अकेली, असहाय, मजबूर व अनिश्चय की स्थिति में हो एवं अपनी अजन्मी संतान की रक्षा में, उसके अधिकारों की रक्षा में अपने आप को अक्षम पाती हैः-

1. जब परिवार जन द्वारा महिला की सोनोग्राफी करा गर्भ में कन्या होने की जानकारी प्राप्त होने पर महिला पर गर्भपात का दबाव बनाया जाता है कि इन्होंने वह माँ अपने अजन्मे शिशु को जन्म देना चाहती है।
2. जब बलात्कार, विश्वास घाट या भूल वश बने सम्बन्धों से अविवाहित बालिका के गर्भ धारण पर बालिका परिवार व समाज के डर से कुछ माह तक तो बता ही नहीं पाती व जब तक बताने का साहस करती है या परिवार को पता चलता है तब तक देर हो चुकी होती है व चिकित्सकीय/कानूनी कारणों से गर्भपात करना सम्भव नहीं होता व उस बालिका को आत्महत्या के सिवाय और कोई विकल्प नहीं सूझता।
3. जब गर्भधारण के पश्चात पति की मृत्यु हो जाती है व सामाजिक कारणों से पुर्णविवाह में होने वाली कठिनाई को देखते हुए परिवार जन द्वारा गर्भपात का दबाव बनाया जाता है, पर माँ अपने बच्चे को जन्म देना चाहती है।
4. जब गर्भधारण के पश्चात पति द्वारा पतिन को त्याग दिया जाता है या तलाक दे दिया जाता है ऐसी परिस्थिति में अनेक कारणों से महिला को पीहर में भी शरण नहीं मिलती।

उक्त स्थितियों में जीवनी आश्रय धाम उस अजन्मे शिशु की रक्षा और विकास के उद्देश्य पूर्ति के लिए गर्भवती महिला को धाम में अस्थाई शरण दे निम्न आवश्यकतानुसार सुविधाएँ/व्यवस्थाएँ निःशुल्क उपलब्ध करवाने का विनम्र प्रयास करेगा।

(अ) गर्भवस्था के दौरान :-

1. ममतामयी आश्रय एवं उचित आहार विहार। 2. करुणामयी सलाह एवं भावनात्मक सहयोग।
3. चिकित्सकीय सहायता एवं स्वास्थ्य देखभाल। 4. नियमानुसार राजकीय एवं कानूनी सहायता।
5. सामाजिक सहायता एवं सुरक्षा। 6. आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान के साथ जीविकोपार्जन में सहायता।



गर्भस्थ शिशु
का सुरक्षित आविष्य

(ब) प्रसव पश्चात :-

1. नवजात एवं माँ की स्नेहिल एवं स्वस्थ देखभाल। 2. नवजात एवं माँ को पूर्ण संरक्षण एवं सुरक्षा।
3. नवजात एवं माँ के उत्तराधिकार की रक्षा। 4. नवजात एवं माँ के गौरव की रक्षा के साथ पूर्ण पुनर्वास का प्रयास।

हमारा प्रयास अजन्मे शिशु की रक्षा :-

1. हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि हर उस शिशु को जन्म लेने का, स्वच्छ और सुन्दर वातावरण में आगे बढ़ने की जीवन जीने का अधिकार है जिसने भी माँ के कोख में अंकुरण पाया है हमारा उद्देश्य उस अजन्मे की सहायता करने का प्रयास रहेगा।
2. हमारा यह भी दृढ़ विश्वास है कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। हर माँ अपने गर्भ में पल रहे बच्चे का जीवन ही चुनाना चाहेगी न की मौत (एर्बोशन), अगर उसे समय रहते सम्मान व प्रतिष्ठा के साथ स्नेहिल वातावरण, सुविधा व सुरक्षा उपलब्ध करवायी जाये। हमारा प्रयास उसे अपने गर्भस्थ शिशु को जन्म देने के निर्णय में सहयोग करना होगा।
3. हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि सृष्टि के निर्माण के उस वक्त वह ईश्वरीय रूप 'माँ' कदापि अकेली, असहाय व मजबूर न हो हम उसे बेटी होने के, महिला होने के, जननी होने के गौरव को बनाये रखने का अवसर उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे जिससे बेटियों के जन्म के साथ परिवार की पूर्णता का, समाज के विकास का, राष्ट्र के उत्थान का और सृष्टि के निर्माण का क्रम बिना बाधा पूर्णता से आगे बढ़ता रहे।
4. **विनती :-** - अजन्मा बच्चा बिना किसी अपवाद के एक मानव है जो हम सबका, हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है। जीवित मानव की हत्या करने से सामाजिक समस्या हल नहीं हो जाती। हम विश्वास करते हैं कि इस गर्भपात रूपी हिंसा का सहारा लेना समाज का धोर नैतिक पतन है। हम इस बात पर विश्वास नहीं कर सकते कि भारत जैसा गौरवशाली व आध्यात्मिक देश इस हिंसा के अतिरिक्त कोई और बेहतर समाधान नहीं ढूँढ़ सकता। इसके लिए हम सबको एवं अपने आप को एक अथक प्रयास करने के लिये समर्पित करना चाहिए, ऐसे बेहतर समाधान के लिए जिसमे प्यार, करुणा और मानव जीवन की प्राथमिकता का समान मिश्रण हो। हमें इस हत्या को यहाँ और अभी रोकना ही होगा। विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं को अपनी अजन्मी सन्तान की रक्षा हेतु समाज के सारे बन्धन तोड़कर स्वयं सामग्रे आना होगा इस जीव हत्या को रोकना ही इस समय सबसे बड़ा धर्म है इसके लिए हमें चाहे जो भी मूल्य चुकाना पड़े समाज को बचाने के लिए और अपना आत्म धर्म निभाने हेतु कमर कसकर तैयार होना ही पड़ेगा।



माँ भगवती विकास संस्थान

पी.एफ. ऑफिस के सामने, चित्रकूट नगर, भुवाणा, उदयपुर, राजस्थान, भारत

सम्पर्क :- +91- 94141-63163

office.mbvs@gmail.com | www.jivniashraydham.org